भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3662
(जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

केंद्रीय कर एजेंसियों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी निकाय

3662. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निरंतर कर लेखा परीक्षा के माध्यम से कर चोरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय लागू किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके लेखापरीक्षा मामलों का चयन करने का विचार है, जिनकी भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए एक समर्पित टीम द्वारा जांच की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) केंद्रीय कर एजेंसियों के लिए एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी निकाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): प्रत्यक्ष करों के मामले में, सीबीडीटी द्वारा तैयार किए गए कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन (सीएएसएस) और जोखिम प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत अनुमोदित जोखिम नियमों के आधार पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संवीक्षा/निर्धारण के लिए मामलों का चयन किया जाता है। ऐसे जोखिम नियमों को मशीन के माध्यम से लागू किया जाता है तथा बिना कोई पहचान देखे स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर दिया जाता है। कर चोरी के संबंध में जांच एक सतत प्रक्रिया है और जब भी कर चोरी का कोई मामला संज्ञान में आता है, आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ई-सत्यापन अभियान, करदाताओं को मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए एनयूडीजीई (मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए डेटा का गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग) .अभियान, तलाशी और जब्ती, सर्वेक्षण, मामलों को पुनः खोलना, आय का आकलन, कर लगाना और वसूली, जुर्माना लगाना, अभियोजन शुरू करना आदि सहित उचित कार्रवाई करता है।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में, जीएसटी और सीमा शुल्क के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित किये जाने वाले करदाताओं की सूची वाली वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जारी की जाती है। सीबीआईसी के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन एवं विश्लेषण महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के चयन हेतु एक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। कर चोरी पर रोक लगाने के लिए, सतत कर लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसमें करदाताओं का चयन, जोखिम मानकों और स्थानीय जोखिम आकलन के आधार पर किया जाता है। राजस्व आकलन के जोखिम के आधार पर लेखापरीक्षा चयन को प्राथमिकता दी जाती है, और इस प्रकार अधिक जोखिम वाले करदाताओं को लेखापरीक्षा के लिए लिया जाता है। लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं की सूची, करदाताओं के साथ किसी भी संपर्क के बिना, सिस्टम द्वारा तैयार की जाती है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदान की गई लेखापरीक्षा योजना के आधार पर, डीजीएआरएम अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयुक्तालयवार लेखापरीक्षा सूचियाँ तैयार करते हैं।

(ग): भारत के माननीय लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केंद्रीय कर एजेंसियों के लिए स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी निकाय के रूप में पहले से ही मौजूद हैं।

*****